फतेहगढ़ पुलिस

मुकदमा दर्ज कर इनामी बदमाश को जेल भेजा

फॉलोअप

जनपद और एटा में दर्ज हैं छह मुकदमे, पुलिस ने साथियों के बारे में की पूछताछ

संवाद न्यूज एजेंसी

शमसाबाद। एटा के इनामी बदमाश के खिलाफ पुलिस ने मुठभेड़ का मुकदमा दर्ज कर उसकी कोरोना की जांच करवाई। इसके बाद जेल भेज दिया। आरोपी पर जनपद एटा व जिले में छह मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने उसके अन्य साथियों के बारे में भी पूछताछ की है।

जनपद कासगंज के थाना सिढ़पुरा गांव हवेली खुर्द निवासी ऋषि मिश्रा पर जनपद एटा से ट्रक लूटने के मामले में 25 हजार रुपये का इनाम था। शनिवार को एसओजी व थाना पुलिस ने मुठभेड़ में ऋषि को गिरफ्तार कर लिया था। उसके पैर में गोली लगी थी। एसओ आर के रावत ने ऋषि के खिलाफ मुठभेड़ का मुकदमा दर्ज कराया है। बदमाश के खिलाफ जनपद एटा में चार व थाना शमसाबाद में दो मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने ऋषि से कई बार पूछताछ की। रविवार की शाम उसे जेल भेज दिया गया। एसओजी ने उसके मोबाइल को कब्जे में लेकर कुछ नंबरों को सर्विलांस पर लगाया है। सूत्रों के मुताबिक कई शातिरों के बारे में जानकारी मिली है। उनको गिरफ्त में लेने के लिए एसओजी टीम सक्रिय हो गई है। एसओ आर के रावत ने बताया कि ऋषि के खिलाफ मुठभेड़ का मुकदमा दर्ज कर उसको जेल भेज दिया गया है।

मीडिया सेल